तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07-4-2021	<u>खण्ड पीठ</u> **श्री महेन्द्र कुमार पारख, सदस्य** **श्री गणेश कुमार, सदस्य** वकील प्रार्थी श्री वेदपाल शास्त्री उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाजदायरी में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि मूल अपील संख्या अपील डिक्री/टीए/5759/2014/झुन्झुनू बउनवानी हनुमानसिंह बनाम सुशिला माननीय न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष दिनांक 18–3–2021 को सूचीबद्ध था परन्तु प्रार्थी द्वारा दिनांक 19–3–2021 की पेशी होना मानकर, प्रार्थी/अपीलान्ट माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 18–3–2021 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका जिससे माननीय न्यायालय की खण्ड पीठ ने प्रकरण अदम हाजरी में खारिज फरमा दिया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि दिनांक 18–3–2021 को अनुपस्थिति बाबत सद्भाविक त्रुटि है जिसे क्षमा किया जाकर प्रार्थना पत्र बाजदायरी स्वीकार किया जाकर मूल अपील को पुनः नम्बर पर लेकर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने के आदेश फरमावे। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 18–3–2021 को प्रार्थी/अपीलान्ट नियत तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से अपील संख्या 5759/2014/झुन्झुनू अदम हाजिर में खारिज की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये उज्र सद्भाविक प्रतीत होते है इसलिए हस्तगत बाजदायरी प्रार्थना पत्र न्याय हित में कॉस्ट पर स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र बाजदायरी 2500/– रूपये (दो हजार पांच सौ रूपये) की कॉस्ट पर स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी यह कॉस्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेंर में जमा करवा कर रसीद इस न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे इसके पश्चात ही अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। कॉस्ट जमा नहीं करवाने की स्थिति में मण्डल की खण्ड पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–3–2021 यथावत रहेगा। आदेश सुनाया गया। (गणेश कुमार) सदस्य (महेन्द्र कुमार पारख) सदस्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए